राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम

ई.एम.आई. केम्पस, जे–8–बी, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004 (राजस्थान)

क्रमांकः आरएसएलडीसी / प्रशा. / कोविड–19 / का.आ. / 35141 दिनांकः 12/7/2021

1. समस्त कौशल प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान।
2. समस्त जिला कौशल समन्वयक, पीएमसीए–GT

विषय :– प्रदेश के समस्त कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति बाबत।

संदर्भ :– निगम पूर्व आदेश क्रमांक 33128 दिनांक 03.05.2021

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित आदेश की अनुपालना में निगम द्वारा क्रियान्वित सभी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत संचालित सभी कौशल विकास केन्द्र (एसडीसी) में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बन्द किया गया था। राजस्थान सरकार के त्रिस्तरीय जन–अनुशासन 4.0 दिनांक 10.07.2021 द्वारा जारी किये गये आदेश की अनुपालना में निगम द्वारा क्रियान्वित सभी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत संचालित कौशल विकास केन्द्र (एसडीसी) में प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 12.07.2021 से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रातः 6.00 बजे से सायं 8.00 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति होगी, जिन्होने कोरोना वैक्सीन की कंम से कम पहली डोज लगवा ली है।

सभी प्रशिक्षण प्रदाता राज्य सरकार द्वारा समय समय पर कोविड–19 की रोकथाम हेतु जारी की गई / की जाने वाली सभी मार्गदर्शिकाओं की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे।

जिला कौशल समन्वयक समस्त कौशल प्रशिक्षण प्रदाता संस्थानों को तत्काल इस संबंध में अवगत कराते हुये आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालना की स्थिति से निगम मुख्यालय को अवगत कराएंगे।

(प्रदीप के. गावंडे)
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांकः आरएसएलडीसी / प्रशा. / कोविड / का.आ. / 35141-143 दिनांकः 12/7/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय (डीडीयू–जीकेवाई), भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय (डीडीयू–जीकेवाई), भारत सरकार, नई दिल्ली।

Manager Admin/office order/Sanjay